लोक स्वशासन आंदोलन (म. प्र)

जन सुनवाई - वन अधिकार क़ानून २००६

१२ नवम्बर २०२६ , गांधी भवन (भोपाल)

सारांश

१२ नवंबर को वन अधिकार क़ानून के क्रियान्वयन के २० साल की समीक्षा और जारी उल्लंघन पर एक दिवसीय जन सुनवाई जिसकी अध्यक्षता एक पांच सदस्य जज मंडली द्वारा की गयी जिनक नाम हैं

१) जस्टिस A. K. Patnaik , सेवानिवृत न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट

२) प्रोफेसर वर्जिनियस खाखा,प्रोफेसर एमिनेंस, तेजपुर यूनिवर्सिटी

३) श्री शरद चंद्र बेहार, पूर्व मुख्य सचिव,मध्य प्रदेश

४) सुश्री कुसुम आलम, कवियत्री, सामाजिक कार्यकर्ता,महाराष्ट्र

५) श्री विनीत तिवारी,

कवि, पत्रकार और नाटककार हैं। प्रगतिशील *वसुधा पत्रिका* के संपादक हैं। प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय सचिव हैं।

जन सुनवाई का आयोजन लोक स्वशासन आंदोलन द्वारा किया गया जिसमें ३५ जिलों से ५०० से अधिक आदिवासी , वन आश्रित एवं उनके संगठनों ने भाग लिया और पिछले २० वर्षों से जारी वन अधिकार क़ानून के उल्लंघन के सन्दर्भ में गवाही पेश की । जन सुनवाई में जिन उल्लंघनों पर बात हुई उनका सारांश नीचे उल्लेखित है ।

वन अधिकार क़ानून : परिचय

'वन अधिकार अधिनियम' (Forest Rights Act) एक क्रांतिकारी कानून है, जिसे 2006 में संसद द्वारा लागू किया गया था। इसका उद्देश्य औपनिवेशिक काल और स्वतंत्रता के बाद के दौर में वनवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना था। यह कानून आदिवासी और वन आश्रित संगठनों के लंबे संघर्ष और व्यापक जन-आंदोलनों के बाद अस्तित्व में आया। इस अधिनियम का लक्ष्य वनों और संसाधनों के प्रबंधन को लोकतांत्रिक बनाना और उसे औपनिवेशिक ढांचे से मुक्त करना था। वन अधिकार क़ानून और २००८ में अधिसूचित वन अधिकार नियम (जिन्हे २०१२ में संशोधित किया गया):

- वन आश्रित समुदायों और अनुसूचित जनजातियों को वन भूमियों जिन पर वे पारंपरिक रूप से निर्भर रहे हैं पर कई प्रकार के वन अधिकारों को मान्यता देता है और उनमे निहित करता है ।
- वनों, वन संसाधनों, वन्यजीवों और जैव विविधता के शासन , प्रबंधन और संरक्षण की जिम्मेदारी वन विभाग से हटाकर ग्राम स्तर की 'ग्राम सभाओं' और अधिकार प्राप्त लोगों को सौंपता है।
- हर प्रकार की वन भूमि पर लागू होता है चाहे वे संरक्षित वन हो, चाहे वहां वर्किंग प्लान के तहत वन विभाग गतिविधिया कर रहा हो या नहीं ।

- एक बहु-स्तरीय वैधानिक संस्थागत ढांचा स्थापित करता है, जिसमें ग्राम/बस्ती स्तर पर 'ग्राम सभा' (जिसे 'वन अधिकार समिति' का सहयोग मिलता है), उप-मंडल स्तर पर 6 सदस्यों वाली 'उप-मंडल स्तरीय समिति', 'जिला स्तरीय समिति' और 'राज्य स्तरीय निगरानी समिति' शामिल हैं।
- सभी समितियों के कार्यों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से तय करते हैं।
- अधिकारों का दावा करने, उनके सत्यापन और उन्हें मान्यता देने की प्रक्रिया (जिसमें साक्ष्य जुटाने का ढांचा भी शामिल है) को भी स्पष्ट करते हैं। इस प्रक्रिया को शुरू करने का अधिकार 'ग्राम सभा' के पास होता है।
- 'वन अधिकार अधिनियम' (FRA) से जुड़े निर्णयों या किसी दिशा-निर्देश (गाइडलाइंस) और परिपत्रों (सर्कुलर) को जारी करने की बात आती है, तो केंद्र स्तर पर 'जनजातीय कार्य मंत्रालय' (Ministry of Tribal Affairs) और राज्य स्तर पर 'जनजातीय कल्याण विभाग' (Tribal Welfare Department) नोडल प्राधिकरण के रूप में कार्य करते हैं।

2009 में, पर्यावरण मंत्रालय ने दर्ज किया था की इस क़ानून के तहत ४० मिलियन हेक्टेयर वन को ग्राम सभा के तहत सौंपा जाना है और अन्य कानूनों और नीतियों में भी 'वन अधिकार अधिनियम' (FRA) के अनुरूप बदलाव किए जाने चाहिए ।

मध्य प्रदेश का सन्दर्भ

देश की सबसे अधिक आदिवासी आबादी (2011 की जनगणना के अनुसार) मध्य प्रदेश में रहती है। यहाँ लाखों परिवार—जिनमें आदिवासी और अन्य पारंपरिक वन आश्रित समुदाय शामिल हैं—अपनी आजीविका और जीवन-यापन के लिए वनों पर निर्भर हैं। मध्य प्रदेश में तीन 'विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह' (PVTG) समुदाय—बैगा, सहरिया और भारिया—तथा पारधी जैसे 'विमुक्त समुदाय' (denotified tribes) भी रहते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक, वन ग्राम (forest villages) हैं- कुल ९२५। राज्य का एक बड़ा क्षेत्र "ऑरेंज एरिया" (orange areas) कहलाता है - यानी ऐसी ज़मीनें हैं जिनकी स्थिति को लेकर वन विभाग और राजस्व विभाग के बीच विवाद बना हुआ है।मध्य प्रदेश इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। राज्य सरकार ने सबसे ज़्यादा 'टाइगर रिज़र्व' तथा 'संरक्षित क्षेत्र' (Protected Areas) मध्य प्रदेश में ही अधिसूचित हुए हैं। 'वन अधिकार अधिनियम' (FRA) के तहत यह महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह अधिनियम विवादित ज़मीनों पर भी अधिकारों को मान्यता देता है; वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने का अधिकार ; विशेष रूप से जनजातीय समूहों के हेबिटेट यानी परिवास अधिकारों को मान्यता देता है; ग्राम सभा को अपने सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्रों के संरक्षण और प्रबंधन से जुड़े निर्णय लेने के लिए अधिकृत करता है .

1.) वन अधिकार क़ानून के ढाँचे से जुड़े उल्लंघन

मध्य प्रदेश ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट में कहा है की उसने SDLC, DLC और SLMC का गठन पूरा कर लिया है; FRC का गठन किया है; अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया है; और कानूनों तथा नियमों के बारे में जागरूकता फैलाई है। इन दावों के विपरीत, 'जन सुनवाई' में सामने आए बयान बताते हैं कि पिछले 20 वर्षों में FRA (वन अधिकार अधिनियम) के तहत जरूरी संस्थागत ढांचा या तो स्थापित ही नहीं हुआ है, या फिर कानून के निर्धारित ढांचे के अनुसार काम नहीं कर रहा है। इस संस्थागत ढांचे से जुड़े कुछ प्रमुख उल्लंघन इस प्रकार हैं:

1.1 **ग्राम सभा और वन अधिकार समिति (एफआरसी) स्तर पर**

- ग्राम सभा गावं स्तर पर नहीं बुलाई/ आयोजित की गयी , पंचायत स्तर पर बुलाई/ आयोजित की गयी
- बिना ग्राम सभा बुलाये , अधिकारियों द्वारा वन अधिकार समिति का गठन किया गया

- वन अधिकार समिति (FRC) का गठन सही नहीं है (सदस्यों की संख्या कम या ज्यादा होना, ST सदस्यों या महिलाओं की बहुत कम संख्या होना, या सरकारी अधिकारियों को सदस्य के रूप में शामिल करना आदि)
- ग्राम सभा की बैठकें केवल पंचायत सचिव द्वारा ही बुलाई जा सकती हैं और वही इनकी अध्यक्षता कर सकते हैं जबकि क़ानून कहता है की सिर्फ पहली ग्राम सभा बैठक पंचायत सचिव बुलाएगा।
- FRC/ग्राम सभा को सरकारी रिकॉर्ड या दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं
- FRC सदस्यों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, और न ही कोई प्रचार-प्रसार या जागरूकता अभियान चलाया गया
- FRC को दावों के सत्यापन (verification) से रोका गया है; या FRC द्वारा कोई सत्यापन नहीं किया गया है, बल्कि अधिकारियों ने दावों का सत्यापन किया है
- सत्यापन और मैपिंग का काम वन विभाग के पास द्वारा GPS उपकरणों के जरिए किया गया है
- ग्राम सभा ने दावों पर कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है, या फिर प्रस्ताव फर्जी तैयार किए गए हों, ग्राम सभा ने 50% कोरम (न्यूनतम उपस्थिति) के बिना ही प्रस्ताव पारित कर दिया है निर्णय ग्राम सभा द्वारा नहीं लिए गए हैं, या फिर ग्राम सभा की मंजूरी के बिना ही FRC और अन्य समितियों ने निर्णय ले लिए हैं

1.2 **उपखण्ड स्तरीय समिति और जिला स्तरीय समिति स्तर पर**

६ सदस्यों की इन समितियों में एक प्रतनिधि राजस्व से , एक वन विभाग से, एक जनजातीय विभाग से होता है । और ३ पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं

- SDLC / DLC का गलत गठन – जैसे कि इसमें वन विभाग के सदस्यों की संख्या ज्यादा होना , समिति में तय सीमा (छह सदस्य) से अधिक होना, पंचायत सदस्यों का शामिल न होना, आदि।
- SDLC / DLC द्वारा दावों को गलत या गैर-कानूनी आधार पर खारिज करना
- SDLC / DLC द्वारा सत्यापन या निर्णय लेने का काम वन विभाग को सौंप देना।
- SDLC / DLC द्वारा उन नक्शों या क्षेत्रों में बदलाव करना जिन्हें मान्यता दी जानी है।
- ग्राम सभा द्वारा मंजूर किए गए व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों से जुड़े दावों में बदलाव करने या उन्हें खारिज करने के पीछे विस्तृत कारण न बताना;कोई लिखित सूचना न देना।; साथ ही अपील का कोई मौका न देना।
- SDLC या DLC द्वारा केवल तकनीकी या प्रक्रियात्मक आधार पर दावों को खारिज कर देना।
- SDLC द्वारा रिकॉर्ड उपलब्ध कराने में पर्याप्त मदद न मिलने के कारण, सबूतों की कमी के आधार पर खारिज किए गए दावों की DLC द्वारा समीक्षा न करना।
- SDLC / DLC द्वारा अपने निर्णयों की जानकारी न देना या उन्हें सार्वजनिक न करना।
- कानून और नियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन करते हुए DLC या समिति के अधिकारियों द्वारा निर्णय लेना।
- अपने गैर-सरकारी सदस्यों की भागीदारी के बिना SDLC / DLC का काम करना।

1.3 राज्य स्तर पे

- SLMC की भूमिका और जिम्मेदारियों को सीमित करना या उनकी जगह किसी अन्य अधिकारी या समन्वय समिति (co-ordination committee) को नियुक्त करना या उनकी नियमित बैठक न होना ।

- राज्य सरकार, DLC, SDLC या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा दावे जमा करने के लिए कोई समय-सीमा या अंतिम तारीख तय करना। जैसे पीसीसीएफ द्वारा जारी पत्र
- राज्य स्तरीय निगरानी समिति की जगह टास्क फोर्स का गठन
- वन ग्राम को राजस्व ग्राम बदलने की मार्गदर्शिका जिसके तहत इस अधिकार के क्रियान्वन को लेकर एक ऊपर से नीचे की प्रक्रिया जिसमें वन विभाग के पास क़ानून के दायरे से ज्यादा नियंत्रण है और सेटेलाईट को अनिवार्य बनाया गया है जैसी एक गलत प्रक्रिया को स्थापित किया गया है

2. व्यक्तिगत और सामूहिक वन अधिकारों के सन्दर्भ में

सरकारी आंकड़ों अनुसार 30.06.2026 तक, मध्य प्रदेश को व्यक्तिगत वन अधिकारों के कुल 766,340 दावे प्राप्त हुए, जिनमें से 260,707 दावों के लिए अधिकार पत्र (टाइटल) वितरित किए गए हैं, जो 842,543.64 एकड़ क्षेत्र को कवर करते हैं। इसके अलावा, सामुदायिक अधिकारों के कुल 49,975 दावे प्राप्त हुए, जिनमें से 28,754 दावों के लिए अधिकार पत्र वितरित किए गए, जो 1,463,035.78 एकड़ क्षेत्र को कवर करते हैं। पिछले 20 वर्षों में जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) द्वारा प्रकाशित आंकड़ों में सामुदायिक दावों के बारे में अलग-अलग जानकारी नहीं दी गई है—यानी यह स्पष्ट नहीं है कि ये दावे 'सामुदायिक वन अधिकारों' से संबंधित हैं या 'सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों' से।

वन और राजस्व विभागों के बीच क्षेत्रीय और अधिकार क्षेत्र संबंधी विवादों का इस्तेमाल कई क्षेत्रों में अधिकारों की मान्यता को और बाधित करने के लिए किया गया है, तब भी जब FRA विवादित भूमि पर अधिकारों की मान्यता का प्रावधान करता है।

बैगा, सहरिया और भारिया जैसे विशेष रूप से कमज़ोर आदिवासी समुदाय, जो ऐतिहासिक रूप से बड़े भू-भागों में रहते और उनका प्रबंधन करते आए हैं और जिन पर पर्यावास अधिकार लागू हैं. बैगा समुदाय के कुछ पर्यावास या हेबिटेट अधिकारों को मान्यता दी गई है - लेकिन इस प्रक्रिया में ऊपर से नीचे तक का दृष्टिकोण अपनाया गया है और इसमें वन अधिकार अधिनियम में वर्णित पर्यावास या हेबिटेट अधिकारों की परिभाषा का भी पालन नहीं किया गया है। बल्कि सामुदायिक अधिकारों को पर्यावास अधिकारों के रूप में दर्ज किया गया है।

2.1 सामुदायिक वन अधिकार सामुदायिक वन संसाधन अधिकार

पिछले २० वर्षों में , जिन क्षेत्रों के लिए सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता दी गई है, वे मध्य प्रदेश में मान्यता प्राप्त कुल संभावित सामुदायिक वन अधिकार क्षेत्र के 10% से भी कम हैं। इस 10% में केवल वन संसाधनों के विकास या उपयोग के अधिकार शामिल हैं, न कि उनके प्रबंधन और संरक्षण के अधिकार। आज तक मात्र ४ सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र को मान्यता दी गई है।

- ग्राम सभाओं के अधिकारों को पारंपरिक सीमाओं तक ना मान्यता देते हुए, बल्कि प्रशासनिक सीमाओं और वन क्षेत्रों तक सीमित किया जा रहा है।
- जैव विविधता अधिनियम 2002' (Biodiversity Act 2002) के तहत JFM/VSS समितियों को 'सामुदायिक वन संसाधन' (CFR) अधिकारों का टाइटल जारी करना।
- बाबा , मठ, आश्रम और ऐसे अन्य धार्मिक संस्थानों या व्यक्तियों के नाम पर सामुदायिक वन अधिकारों या सामुदायिक वन संसाधन' (CFR) अधिकारों का टाइटल जारी करना।
- वन विभाग या NGO आदि द्वारा 'सामुदायिक वन संसाधन' (CFR) के संरक्षण और प्रबंधन की योजना तैयार करना।

- लघु वन उपज (MFP) इकट्ठा करने को केवल 'सामुदायिक वन संसाधन' (CFR) क्षेत्र तक ही सीमित कर देना।
- ऐसे कार्य करना जो वन संरक्षण/प्रबंधन से जुड़े ग्राम सभा के निर्णयों का उल्लंघन करते हों।
- अधिकारों के इस्तेमाल में बाधा डालना (जैसे कि लघु वन उपज (MFP) इकट्ठा करते समय)।
- सामुदायिक वन संसाधनों को JFM (संयुक्त वन प्रबंधन) की शर्तों के अधीन रखना
- सामुदायिक वन संसाधन का अधिकार (title) ग्राम सभा के बजाय JFM समिति / वन सुरक्षा समिति को देना

2.2 गैर-कानूनी आधार पर दावों को खारिज करना ; दावों पर गैर-कानूनी शर्तें और प्रतिबंध लगाना

वन अधिकार क़ानून २ साक्ष्य लगाने की बात रखता है और इसके लिए साक्ष्यों की एक विस्तृत सूची नियम १३ में देता है । स्पष्ट कहता है की तकनीकी आधार , दावों के आवदेन की प्रक्रिया में कमी के कारण , सेटेलाईट के आधार पर कोई दावा खारिज नहीं किया जा सकता । यदि प्रक्रिया में कोई कमी है तो, SDLC और DLC ग्राम सभा को दावा सुधार के लिए वापस भेजेगी । दावा खारिज करने से पहले लिखित कारण और सूचना दावेदार / ग्राम सभा को भेज उसे सुनवाई का मौका देगी। लेकिन हम देखते हैं की SDLC और DLC स्तर पर दावों को क़ानून का पालन किये बिना निम्न प्रकार से खारिज किया जा रहा है

- सैटेलाइट इमेजरी को मुख्य सबूत मानकर उसके आधार पर खारिज करना
- POR (प्राथमिक अपराध रिपोर्ट) / जुर्माने की रसीद न होने के कारण दावा खारिज करना
- आवेदक का नाम वन विभाग की अतिक्रमणकारियों की सूची में न होने के कारण दावा खारिज करना
- दावा 'आधिकारिक' फॉर्म में न होने के कारण उसे स्वीकार न करना
- दावा किसी संरक्षित क्षेत्र (वन्यजीव अभयारण्य / राष्ट्रीय उद्यान / टाइगर रिज़र्व) के अंतर्गत होने के कारण खारिज करना
- दावा ऐसी वन भूमि पर होने के कारण खारिज करना, जो 'भारतीय वन अधिनियम 1927' या राज्य के किसी कानून के तहत अधिसूचित नहीं है जैसे विवादित भूमि
- दावा करने वाले व्यक्ति का वन भूमि पर न रहने के कारण दावा खारिज करना
- दावा नगरपालिका क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली वन भूमि पर होने के कारण खारिज करना
- दावा करने वाले के परिवार के पास रोजगार / राजस्व भूमि / आय का कोई अन्य स्रोत होने के कारण दावा खारिज करना
- FDST / OTFD का वन ग्राम का निवासी न होने के कारण दावा खारिज करना
- FDST / OTFD का आजीविका के लिए पूरी तरह से वन भूमि पर निर्भर न होने के कारण दावा खारिज करना
- FDST / OTFD का दावा की गई भूमि पर 75 वर्षों से काबिज न होने के कारण दावा खारिज करना
- FDST / OTFD का वन भूमि पर न रहने के कारण दावा खारिज करना
- दो से अधिक सबूत या कोई विशेष सबूत ही मांगने की जिद करना
- वन भूमि का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किए जाने के आधार पर दावा खारिज करना
- मान्यता दी जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल को कम कर देना
- सामुदायिक अधिकारों / भूमि से इतर अन्य अधिकारों को मान्यता न देना
- केवल खेती वाली भूमि को मान्यता देना, जबकि उपभोग (कब्जे) वाली अन्य भूमि को मान्यता न देना
- लघु वन उपज (minor forest produce) को बेचने / परिवहन करने के अधिकार को सीमित करना

2.3 'वन अधिकार अधिनियम' के तहत खारिज किये गए दावों की पुनः समीक्षा की प्रक्रिया और ऑनलाइन वेब पोर्टल "वन मित्र" के सम्बन्ध में

मध्य प्रदेश में वन अधिकारों के दावों की सबसे अधिक अस्वीकृति भी देखी गई है। 2019 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी वन आश्रितों जिनके दावे खारिज कर दिए गए थे को बेदखल करने का आदेश दिया, तो मध्य प्रदेश के लगभग 350,000 वन आश्रित परिवारों को अन्यायपूर्ण बेदखली का खतरा था।जन विरोध और जनजातीय मंत्रालय के हस्तक्षेप के कारण , जब सुप्रीम कोर्ट ने सभी बेदखलियों पर रोक लगा दी और राज्यों को इन खारिज किए गए वन अधिकार दावों की समीक्षा करने का आदेश दिया, तो मध्य प्रदेश सरकार ने समीक्षा प्रक्रिया के संचालन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन वेब पोर्टल "वन मित्र" को अपनाकर जवाब दिया। मध्य प्रदेश अधिकार मान्यता प्रक्रिया में एक डिजिटल तकनीकी उपकरण को शामिल करने वाला पहला राज्य है। हालाँकि, निष्पक्ष और न्यायसंगत समीक्षा प्रक्रिया का निर्माण करके पहले की अस्वीकृतियों की त्रुटियों को सुधारने के बजाय, वन मित्र स्वयं वनवासियों के दावों को बड़े पैमाने पर अवैध और गलत तरीके से फिर से खारिज करने का एक साधन और कारण बन गया है।

जनवरी 2025 तक, वन मित्र पोर्टल के माध्यम से समीक्षा किए गए दावों में से लगभग 50% को फिर से खारिज कर दिया गया है, 14% से कम को मंजूरी दी गई है, और दावों का एक बड़ा हिस्सा उप-मंडल (एसडीएलसी) और जिला (डीएलसी) दोनों स्तरों पर लंबित है। वन मित्र पोर्टल के माध्यम से डिजिटल बुनियादी ढांचे के उपयोग और प्रचार ने वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के कार्यान्वयन में प्रणालीगत खामियों को जन्म दिया है। दावों की मान्यता और सत्यापन की जीएस के नेतृत्व वाली प्रक्रिया को मजबूत करने के बजाय, तकनीकी ढांचे ने डिजिटल और नौकरशाही नियंत्रण को मजबूत किया है और एफआरए में अंतर्निहित पारदर्शिता, विकेंद्रीकरण और लोकतांत्रिक-भागीदारी शासन के मूल सिद्धांतों को कमजोर किया है। दावेदारों को अपना मामला और सबूत पेश करने का पर्याप्त अवसर दिए बिना बड़े पैमाने पर अस्वीकृति और पुनः अस्वीकृति हुई है। वास्तव में, दावेदार की जानकारी या उचित प्रक्रिया में भागीदारी के बिना, किसी भी तर्कपूर्ण आदेश या लिखित संचार जारी किए बिना अस्वीकृतियां हुई हैं, इस प्रकार कानून और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिदेश का उल्लंघन हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट के २०१९ के आदेश तहत की जाने वाली निरस्त दावों की रिव्यू प्रक्रिया अभी भी अधूरी है और इसमें कई अनियमितताएँ और कानूनी त्रुटियां हैं- इसके सम्बन्ध में एक विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया गया जो संलग्न है .

2.4 अधिकार पत्रों से सम्बंधित त्रुटियाँ

- ऐसा अधिकार पत्र (टाइटल) जारी करना जिस पर किसी अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर न हों, या किसी ऐसे अधिकारी के हस्ताक्षर हों जिसे हस्ताक्षर करने का अधिकार ही नहीं है।
- लघु वन उपज (MFP) इकट्ठा करने की अनुमति देने वाला पत्र जारी करना।
- राजस्व और वन रिकॉर्ड में वन अधिकारों को शामिल न करना।
- अधिकारों को मान्यता मिलने के बाद लाभ पाने में समस्याएँ जैसे पी ऍम आवास योजना , किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना
- मान्यता प्राप्त वन भूमि पर बोरवेल खोदने या बिजली कनेक्शन लेने पर आपत्ति जताना।
- सामुदायिक वन संसाधनों को JFM (संयुक्त वन प्रबंधन) की शर्तों के अधीन रखना
- सामुदायिक वन संसाधन का अधिकार (title) ग्राम सभा के बजाय JFM समिति / वन सुरक्षा समिति को देना

- अधिकार पत्र (title) पर जीवनसाथी का नाम शामिल न करना.

3. वन अधिकार क़ानून के तहत दिए संरक्षण के ढांचे की अवेहलना , संरक्षित क्षेत्र का विस्तारीकरण

मध्य प्रदेश लगातार राज्य नियंत्रित फोर्ट्रेस यानी किलेबंदी वाले मॉडल पर आधारित संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार कर रही है । आज मध्य प्रदेश में 9 बाघ अभयारण्य हैं, जिनमें से 3 पिछले 2 वर्षों की समयावधि में अधिसूचित किए गए। इसके साथ ही राज्य सरकार ने चीतों के लिए टाइगर रिजर्व के फोर्ट्रेस कंज़र्वेशन मॉडल के तर्ज पर संरक्षित क्षेत्रों को अधिसूचित और विस्तारित किया है। अब राज्य सरकार अलग अलग बाघ अभ्यराण्य को जोड़ने के मंशा से टाइगर कॉरिडोर को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं।मध्य प्रदेश संरक्षण और वन्यजीव सुरक्षा के नाम पर केंद्र सरकार से सबसे अधिक धन प्राप्त करती है । राज्य सरकार भले ही अपनी स्वैच्छिक पुनर्वास सफलताओं का दावा करना जारी रखती है लेकिन वास्तविकता में ये संरक्षण मॉडल अधिकारों के हनन, विस्थापन और वन आश्रितों के साथ हिंसा और भेदभाव पर आधारित है। इन संरक्षित क्षेत्रों की अधिसूचना, प्रबंधन ने डब्ल्यूएलपीए 2006 और एफआरए 2006 द्वारा स्थापित वैधानिक ढांचे का पालन नहीं किया गया है। एनटीसीए के अपने आंकड़ों के अनुसार, जो विश्वसनीय नहीं हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन आश्रित लोग विस्थापित हुए हैं, जहाँ 7 बाघ अभयारण्यों के 109 गाँवों में रहने वाले 9058 परिवार विस्थापित हुए हैं । एनटीसीए के १९ जून २०२४ के आदेश के अनुसार राज्य के कोर क्षेत्र के अंदर 56 गाँवों में रहने वाले 9568 परिवारों को विस्थापित करने का निर्देश दिया गया है - ज़ाहिर है कि इस संख्या में नए अधिसूचित बाघ अभयारण्य जैसे रातापानी और दुर्गावती शामिल नहीं हैं। इनको शामिल करें तो यह संख्या १०० गावं से ऊपर जाती है ।

- वन अधिकारों को मान्यता दिए बिना , ग्राम सभा की भागीदारी बिना और उनकी अनिवार्य सहमति लिए बिना संरक्षित क्षेत्रों को अधिसूचित किया जा रहा है ।
- एलएआरआर 2013 के अनुसार एक भी मामले में पुनर्वास और पुनर्स्थापन नहीं किया गया है।
- टाइगर रिज़र्व में 'क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट' (महत्वपूर्ण बाघ आवास) की एकतरफा अधिसूचना जारी करना।
- ग्राम सभा के कर्तव्यों/शक्तियों को दरकिनार करते हुए, EPA 1986 के तहत 'इको-सेंसिटिव ज़ोन' (ESZ) लागू करना।
- संरक्षित क्षेत्रों के भीतर सामुदायिक अधिकारों के दावों को खारिज करना (जिसमें वन गांवों को राजस्व गांवों में बदलना भी शामिल है)।
- विस्थापन बलपूर्वक , गुमराह करके, फर्जी सहमति लेकर , जबरन और मजबूर करके किया जा रहा है ।
- संरक्षित क्षेत्रों में अक्सर यह कहकर वन अधिकार दावों को लिया ही नहीं जाता की यह गावं तो विस्थापित होना है
- कोर क्षेत्रों में अक्सर बिजली, सड़क आदि मूलभूत सुविधाओं पर रोक लगा दी जा रही है और लोगों की आवाजाही और जंगल तक पहुँच पर भी रोक टोक लग रही है ।

4. वन विभाग द्वारा जबरन बेदखली और वन अधिकारों का हनन करना

वन अधिकार क़ानून की धरा ४(५) स्पष्ट कहती है की जब तक वन अधिकारों को मान्यता मिलने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब किसी वन अधिकार धारक को उसके उपभोग की जमीं से बेदखल नहीं किया जा सकता . पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को दिए एक हलफनामे में बताया कि देश में वन भूमि पर अतिक्रमण के सबसे ज़्यादा मामले मध्य प्रदेश में हैं। वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के तहत दावे करने और अधिकारों को मान्यता देने की प्रक्रिया जारी होने

के बावजूद, और एफआरए को अभी तक पूरी तरह और प्रभावी ढंग से लागू न किए जाने के बावजूद, राज्य सरकार ने अवैध और गलत तरीके से अधिकारधारकों और उनकी ज़मीनों को अतिक्रमण के रूप में वर्गीकृत किया है। हम मध्य प्रदेश में देखते हैं की

- अधिकार धारकों की सहमति के बिना ज़मीन पर खाइयां (trenches) खडडे खोदना, फेंसिंग करना , जिससे उनके अधिकारों के इस्तेमाल में रुकावट आए।
- वन अधिकार का दावा प्रक्रिया में होने के बावजूद या फिर अधिकार पात्र मिल जाने के बावजूद, जबरन बेदखल करना , या बेदखली का नोटिस देना ।
- बेदखली का नोटिस दिए बिना, वन अधिकारों की परकीय की अनुपालन किये बिना वन अधिकारों का हनन करना - जैसे जमीं में कीटनाशक फेंक देना, कड़ी फसलें जला देना , जेसीबी लाकर मकान और जमीं तोड़ देना , अतिक्रमणकारी के नाम पर मार पीट करना प्रॉपर्टी को नुक्सान पहुंचाना, कहती का सामान , ट्रेक्टर जब्त कर लेना
- जिस जमीन पर वन आश्रित के अधिकार बनते हैं या दावे प्रक्रिया में हैं उसपे वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण करना

5. कानूनी, नीतिगत , प्रशासनिक और राजनैतिक अवरोध

पिछले 20 सालों से वन अधिकार क़ानून का क्रियान्वयन कई कानूनी नीतिगत , प्रशासनिक और राजनैतिक बाधाओं से ग्रस्त रहा है. इसके तहत वन से जुड़े वन कानूनों , वन्य जीव संरक्षण क़ानून और अपराधीकरण, पेसा नियम 2022 , लघु वन उपज से जुड़े क़ानून और नीतियों जैसे मध्य प्रदेश पारगमन (वन उत्पाद) नियम, २०००, मध्य प्रदेश संरक्षित वन नियम, 2015 , मध्य प्रदेश वन (मनोरंजन और वन्यजीव अनुभव) नियम, 2015 ; वन विभाग और जनजातीय विभाग के हस्तक्षेपों जैसे वन मित्र पोर्टल, वन्य जीव संरक्षण प्लान , वन ग्राम से राजस्व ग्राम की प्रक्रिया के निर्देश , प्रमुख वन संरक्षक द्वारा सामुदायिक वन संसाधन अधिकार अधिकार पे जारी निर्देश, धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान .

5.1 धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA JGUA)

अक्टूबर 2024 में भारत सरकार द्वारा घोषित धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA JGUA) "आदिवासी समुदायों के कल्याण" के लिए कार्य करने के लिए लागू किया गया है । इस के तहत प्रस्तावित अनेक हस्तक्षेपों में, मुख्य रूप से वन अधिकार अधिनियम के मिशन मोड कार्यान्वयन, अधिकारों के निपटारे और वन अधिकार क़ानून के लाभार्थियों को दावा-पश्चात सहायता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हालांकि सरकार इसके तहत , एफआरए के कार्यान्वयन में तेज़ी लाने के नाम पर एक के बाद एक प्रशासनिक हस्तक्षेप जारी कर रही है लेकिनवास्तविक में यह स्कीम पूरी तरह से वन अधिकार क़ानून के मांशल और अक्षर को पलटने का काम कर रही है जैसे :

- एफआरए अधिकार धारकों और ग्राम सभा प्राधिकरण को मान्यता देता है, यह लाभार्थियों और कल्याण की कानूनी अवधारणा पर आधारित नहीं है।

- इसके तहत क़ानून के ढाँचे को कमजोर करते हुए , ग्राम सभा के अधिकार को दरकिनार करा जा रहा है और समानांतर संस्थागत संरचनाओं को स्थापित किया जा रहा है जैसे FRA सेल्स, नागरिक समाज संगठनों, तकनीकी एजेंसियों, पंचायत अधिकारियों, कियोस्क संचालकों और वन विभाग की भागीदारी और भूमिका को क़ानून के दायरे के विरुद्ध बढ़ाना।

- स्कीम के तहत डिजिटलीकरण पर ज़ोर दिया जा रहा है और वन मित्र के उपयोग के विरुद्ध कई शिकायतों के बावजूद, DA JGUA डिजिटल पोर्टल के निर्माण और दावा प्रक्रिया के डिजिटलीकरण को अनिवार्य बनाते हैं।

- वन अधिकार अधिनियम (FRA) के तहत परिकल्पित सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन और संरक्षण की अवधारणा को विफल करते हुए, DA JGUA मिशन का लक्ष्य CFR को प्रशासनिक स्कीम में बदलना और उसे एक आर्थिक संचालित योजना में संहिताबद्ध करना है, जिसके लिए ग्राम सभा को तकनीकी भागीदारों या CSO की सहायता लेनी होगी। इस CSO/तकनीकी भागीदार को 3 वर्षों की अवधि के लिए धनराशि प्रदान की जा रही है। यहाँ तक कि FRA सेल्स को भी CFR योजनाओं के निर्माण में शामिल होना होगा, सभी बैठकों का फोटोग्राफ सहित दस्तावेजीकरण करना होगा और जिला स्तरीय निगरानी समिति नामक एक अलग निकाय को इन CFR योजनाओं की निगरानी और अभिसरण सुनिश्चित करना होगा।
- DA JGUA के तहत एफआरए कार्य के लिए कुल 5746.55 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें दो वर्षों के लिए राज्य FRA सेल्स स्थापना हेतु 51,70,000 रुपये, 55 जिला स्तरीय FRA सेल्स की स्थापना हेतु 894.85 लाख रुपये, सीएफआर प्रबंधन योजनाएँ तैयार करने वाली 300 ग्राम सभाओं के लिए 45,00 लाख रुपये और इन 300 ग्राम सभाओं को तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु 300 लाख रुपये शामिल हैं। राज्य सरकार ने लिखा है कि वह अगले दो वर्षों में एक एक्सपर्ट संस्था के साथ सीएफआर अधिकारों के निहितीकरण को पूरा करने की योजना बना रही है। इस संस्था के रूप में आरएसएस की जन अभियान परिषद् को कार्यभार सौंपा किया गया है।

5.2 वनों का निजीकरण और निगमीकरण

राज्य सरकार लगातार वन भूमि के निजीकरण और निगमीकरण को बढ़ावा दे रहा है। मध्य प्रदेश उन पहले राज्यों में से एक था जिसने 2023 में ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम की अधिसूचना के बाद इसके लिए भूमि की पहचान शुरू की। राज्य सरकार ने पहले ही पुनर्वनीकरण के लिए बंजर भूमि के सबसे बड़े क्षेत्र, 11,624 हेक्टेयर क्षेत्र की पहचान कर ली है। ध्यान दें कि मध्य प्रदेश में कुल 9.5 मिलियन हेक्टेयर वन भूमि में से 3.7 मिलियन हेक्टेयर को 'बंधित' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन जमीनों की पहचान में एफआरए के तहत अधिकारों या ग्राम सभा की सहमति का कोई संदर्भ नहीं दिया गया है। 2025 में, भोपाल में वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन के दौरान सरकार ने 'सीएसआर, सीईआर और गैर-सरकारी निधियों का उपयोग करके वन बहाली' पर मसौदा नीति का भी प्रस्ताव रखा। उक्त नीति वानिकी में निजी निवेश लाने और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) तथा कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व (सीईआर) बजट के माध्यम से वन पुनर्स्थापन में कॉर्पोरेट सहयोग प्राप्त करने पर केंद्रित है। निवेशकों को मध्य प्रदेश वन विकास निगम (एमपीएफडीसी) के परामर्श से, 60 वर्षों की अवधि के लिए न्यूनतम 25 हेक्टेयर और अधिकतम 1,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र लेना होगा और निवेशक सीधे या एमपीएफडीसी के माध्यम से शुल्क देकर वृक्षारोपण कर सकते हैं। नीति में निवेशक को लघु वनोपज (एमएफपी) का आधा हिस्सा बेचने का अधिकार भी दिया गया है, जबकि एमपीएफडीसी को 30 प्रतिशत और स्थानीय समुदायों के लिए 20 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। वन अधिकारों और वनवासियों का पुलिसीकरण और अपराधीकरण।

5.3 बिना वन अधिकार क़ानून का पालन किये जबरन वन हस्तांतरण और प्लांटेशन

वन विभाग कैम्पा और जीआईएम वृक्षारोपण, भूमि बैंकों, संरक्षण क्षेत्रों के नाम पर अधिक से अधिक सीएफआर भूमि को घेरकर हड़प रहा है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि, सभी राज्यों में मध्य प्रदेश ने 2008-2023 के बीच दूसरी सबसे अधिक वन भूमि को डायवर्ट करने की अनुमति दी है - कुल 40,627 हेक्टेयर। अकेले पिछले तीन वर्षों में, इसने 14,157 हेक्टेयर मूल वन भूमि को डायवर्ट किया है - जो सभी राज्यों में सबसे अधिक है।

- ग्राम सभा की सहमति के बिना और/या अधिकारों की मान्यता पूरी किए बिना, किसी परियोजना के लिए वन भूमि का उपयोग बदलना (डायवर्जन)।

- फर्जी सहमति पत्र तैयार करना और बिना वास्तविक ग्राम सभा के परियोजना को फर्जी मंजूरी देना
- आदिवासी और वनवासी समुदायों द्वारा एफआरए के तहत अपने अधिकारों का दावा, ग्राम सभा के अधिकार का प्रयोग, उनके विरोध और इस दोषपूर्ण प्रक्रिया पर सवाल उठाना पर दमनकारी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा है।

5.4 वन अधिकारों और वन आश्रितों का पुलिसीकरण और अपराधीकरण।

संरक्षित क्षेत्रों में विकास सुविधाओं पर प्रतिबंध लगाने और संवैधानिक अधिकारों व वन अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने से लेकर, वनवासियों के खिलाफ लकड़ी की कटाई और अवैध शिकार के झूठे मामले दर्ज करने, वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा वनवासियों और घुमंतू समुदायों पर पुलिस और निगरानी के आदेश जारी करने, नक्सलवाद से निपटने के नाम पर झूठे मामले दर्ज करने और पुलिस द्वारा वन अधिकार नेताओं और सामुदायिक नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने तक, वन अधिकारों पर हर तरफ से हमला हो रहा है। रिपोर्टों के अनुसार, मध्य प्रदेश में वनवासियों के खिलाफ 8000 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। वन अधिकार क़ानून के अंतर्गत निहित वन अधिकारों का अन्य वन क़ानून के तहत अपराधीकरण करना खासकर मामले मछली पकड़ने के - जो पहले से ही एक निहित वन अधिकार है.



लोक स्वशासन आंदोलन (मध्य प्रदेश)

(संविधान सम्मत गावं/मोहल्ला स्वायत्त गणराज्य के प्रति प्रतिबद्ध जन आंदोलन (अनुच्छेद ४०))

सहभागी : अखिल भारतीय आदिवासी महासभा ; अखिल भारतीय किसान महासभा ; आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच ; आदिवासी एकता संगठन ; आदिवासी मुक्ति संगठन; आदिवासी एकता परिषद ; अपर नर्मदा बाँध परियोजना किसान संघर्ष मोर्चा ; किसान आदिवासी संगठन ; किसान संघर्ष समिति ; क्रिमिनल जस्टिस एन्ड पुलिस अकाउंटेबिलिटी प्रोजेक्ट ; कल्दा संरक्षण संघर्ष समिति ; गोंडवाना महासभा ; जय किसान संगठन ; जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन ; ज़िन्दगी बचाओ अभियान ; टोंको-रोंको-ठोंको क्रन्तिकारी मोर्चा ; नौरादेही विस्थापन संघर्ष समिति ; परम्परागत आदिवासी ग्राम सभा ; बुंदेलखंड मजदूर किसान शक्ति संगठन ; रचनात्मक कांग्रेस ; रातापानी निर्माणात्मक संघर्ष समिति ; राघव पुर मारवारी बहुदेशिय बाँध परियोजना किसान संघर्ष समिति ; सहरिया जल जंगल जमीन संगठन; सर्व आदिवासी समाज संगठन ; श्रमिक आदिवासी संगठन ।

समर्थक : गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ; भारत आदिवासी पार्टी ; भारतीय आज़ाद आदिवासी पार्टी ; भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) ; भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ; भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (लिबरेशन) ; भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ((मार्क्सवादी-लेनिनवादी) रेड स्टार); समाजवादी जन परिषद ।

वन अधिकार क़ानून २००६ की २० वी वर्षगाँठ पर
क़ानून के क्रियान्वयन की समीक्षा
और
वन अधिकारों के उल्लंघन पर
जन सुनवाई

12.11.2026, भोपाल

लोक स्वशासन आंदोलन (मध्य प्रदेश)

(संविधान सम्मत गावं/मोहल्ला स्वायत्त गणराज्य के प्रति प्रतिबद्ध जन आंदोलन (अनुच्छेद ४०))

वन अधिकार क़ानून २००६ के क्रियान्वयन की समीक्षा
और
वन अधिकारों के उल्लंघन पर
जन सुनवाई

मध्य प्रदेश में वन अधिकार क़ानून के उल्लंघन ..... पिछले २० सालों से आदिवासियों और वन आश्रितों पे जारी ऐतिहासिक अन्याय .....

- वन अधिकार क़ानून का संस्थागत ढांचा क़ानून अनुरूप स्थापित नहीं , जहाँ ढांचा मौजूद वो क़ानून अनुरूप काम नहीं कर रहा है।
- व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों की दावा प्रक्रिया में कमियां और क़ानून के फ्रेमवर्क की अवहेलना
- सामुदायिक वन संसाधन अधिकार का क्रियान्वयन ही नहीं किया जा रहा है
- मंजूर किये गए वन अधिकारों दावों में बिना कारण दिए क्षेत्रफल कम करना
- गैर-कानूनी आधार पर दावों को खारिज करना (जैसे सेटेलाईट)
- वन अधिकार दावों पर गैर-कानूनी शर्तें और प्रतिबंध लगाना
- वन ग्राम को राजस्व ग्राम बदलने की प्रक्रिया में ग्राम सभा को दरकिनार करते हुए सेटेलाईट और ऊपर से नीचे की गलत प्रक्रिया अपनाना
- वन अधिकार अधिनियम के तहत खारिज किये गए व्यक्तिगत वन अधिकार दावों की पुनः समीक्षा की प्रक्रिया गलत तरीके से हुई है ।
- ऑनलाइन वेब पोर्टल "वन मित्र" के कारण ग्राम सभा की शक्तियों और वन अधिकार क़ानून के ढाँचे व् प्रक्रिया का उल्लंघन ।
- वन अधिकार क़ानून के तहत दिए विकेन्द्रित, लोकतांत्रिक और समुदाय द्वारा संरक्षण के ढांचे की अवेहलना
- बिना वन अधिकारों को मान्यता दिए संरक्षित क्षेत्र का विस्तारीकरण और जबरन विस्थापन
- वन अधिकारों और वन आश्रितों का पुलिसीकरण और अपराधीकरण।
- वन अधिकार अधिनियम के मिशन मोड कार्यान्वयन के नाम पर बिना प्रक्रिया पालन किये वन अधिकारों का निपटारा और वन अधिकार क़ानून को लाभार्थी स्कीम में बदलने की कोशिश
- वन विभाग द्वारा वन अधिकार धारकों और दावेदारों की जबरन बेदखली और वन अधिकारों का हनन करना
- कानूनी, नीतिगत , प्रशासनिक और राजनैतिक अवरोध
- वनों का निजीकरण और निगमीकरण में इजाफा
- बिना वन अधिकारों को मान्यता दिए , बिना ग्राम सभा सहमति के जबरन वन हस्तांतरण और प्लांटेशन